राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 933/2025

दुर्गा सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, जयपुर।
3. अधीक्षण खनिज अभियन्ता (सतर्कता) खान एवं भू–विज्ञान, जयपुर।
4. श्रीमती निलिमा शर्मा, खनिकार्यदेशक–II, अधीक्षण खनिज अभियन्ता, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 13.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में खनिकार्यनिदेशक ग्रेड–II के पद पर अधीक्षण खनिज अभियन्ता (सतर्कता) खान एवं भू–विज्ञान, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से सहायक खनिज अभियन्ता, दौसा में स्थानान्तरण किया गया है एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर समायोजित करने की दृष्टि से किया गया है। अपीलार्थी वर्तमान में परिवीक्षा अवधि पर कार्यरत है। अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 25.08.2022 (अनुलग्नक–2) द्वारा हुई थी। परिवीक्षा काल में स्थानान्तरण किया जाना नियम विरूद्ध है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर निरन्तर कार्यरत रखा जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में हम पाते हैं कि अपीलार्थी वर्तमान में खनिकार्यनिदेशक ग्रेड–II के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 25.08.2022 द्वारा 2 वर्ष के परिवीक्षा काल पर हुई थी। अपीलार्थी की परिवीक्षा अवधि पूर्ण हो चुकी है। जहां तक अपीलार्थी के स्थान पर अन्य कार्मिक को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552**) में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि:–

> *"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."*

यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि प्रशासनिक आवश्यकता में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेना चाहता है। ऐसे प्रशासनिक आदेश में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील, मय स्थागन प्रर्थाना–पत्र पर खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)